CORPORATE OFFICE
Delhi Office
706 Ground Floor Dr. Mukherjee Nagar Near Batra Cinema Delhi – 110009
Noida Office
Basement C-32 Noida Sector-2 Uttar Pradesh 201301

CURRENT AFFAIRS

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

website : www.yojnaias.com
Contact No. : +91 8595390705

Date: 14 अप्रैल 2023

भारतीय मार्शल आर्ट

संदर्भ- द हिंदू में छपे लेख के अनुसार आज भी तमिलनाडु में पारंपरिक मार्शल आर्ट सिलंबम का प्रशिक्षण दिया जाता है। सिविल सर्विस परीक्षा के दृष्टिकोण से मार्शल आर्ट भारतीय इतिहास, कला व संस्कृति का एक महत्वपूर्ण विषय है।

मार्शल आर्ट

- मार्शल आर्ट, युद्ध की एक ऐसी कला है जिसका उद्देश्य किसी भी शारीरिक खतरे से रक्षा है।
- यह अभ्यास आधारित कला है अर्थात यह विज्ञान भी है। जिसमें अभ्यास के माध्यम से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
- यह युद्ध अभ्यास के साथ साथ नृत्य कला के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
- मार्शल आर्ट शब्द यूरोपीयों द्वारा रचा गया जो एशइयाई युद्ध पद्धति को वर्णित करता था।
- मार्शल आर्ट का विकास चीन में हुआ। किंतु भारतीय इतिहास में मार्शल कला के साक्ष्य मिलते हैं जो इसे भारतीय मूल की कला के रूप में संदर्भित करते हैं।

भारतीय मार्शल आर्ट

मार्शल आर्ट में गुण अनुशासन, विनम्रता, संयम व सम्मान होने आवश्यक हैं जो एक दंत कथा के अनुसार पल्लव राजकुमार बोधिधर्मा को चीन में जेन बौद्ध धर्म स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। और इन्हीं को मार्शल आर्ट के इन गुणों का प्रतिपादक माना जाता है। भारत में मार्शल आर्ट की कई शैलियों का विकास हुआ, जो यहाँ की संस्कृति का अंग है। यह इण्डोनेशिया व कम्बोडिया के हिंदू मंदिरों में बोरोबुदुर व अंकोरवाट में अंकित राजाओं की स्थिति इस कला के साथ सुमेलित हैं।

कलारीपयट्टु

- सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कला, कलारीपयट्टु को माना जाता है। जिसे भारतीय राज्य **केरल** के मूल का माना जाता है।
- भारत में यह केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में और विदेशों में यह श्रीलंका व मलेशिया के भारतीय समुदायों में प्रचलित है।
- कलारीपयट्टु का अर्थ व्यायामशाला या प्रशिक्षण स्थल है। इसी स्थान पर यह कला का प्रशइक्षण गुरु द्वारा दिया जाता था।
- कलारीपट्टु का आदिगुरु अगस्त्य मुनि को माना जाता है जिन्होंने प्राचीनकाल में इस कला का प्रशिक्षण जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए दिया था।
- प्रशिक्षण को चार चरणों में दिया जाता है- मिथारी, कोल्थारी, अन्कथारी और वेरुम्कई।
- इस कला के लिए संयम व शांतचित्त दे प्रमुख गुण अनिवार्य माने जाते हैं।

सिलम्बम

- सिलंबम को संगम युगीन कला भी माना जाता है। इसका मूल स्थान तमिलनाडु है।
- इस कला मे केरल के कलारीपयट्टु व श्रीलंका के अंगमपोरा के गुण मिलते हैं।
- मलेशिया में इस कला का प्रयोग आत्मरक्षा के साथ एक खेल के रूप में किया जाता है।
- सिलंबम में फुटवर्क का प्रयोग अधिक किया जाता है।
- आत्मरक्षा के लिए हथियार के रूप में डण्डे का प्रयोग किया जाता है।

मलयथम

- मलयथम या मल्लयुद्ध पारंपरिक भारतीय युद्ध कला है। इसके चार प्रकार हैं- हनुमंती, जाम्बुवंती, जरासंधई, भीमसेनी।
- प्रतिद्वंदी को तकनीकि श्रेष्ठता होल्स व लॉक्स का प्रयोग कराने व आत्मसमर्पण करने की एक तकनीक है। जो पश्चिमी कुश्ती के समान है।
- मल्ल युद्ध का उल्लेख रामायण में बालि व सुग्रीव के युद्ध प्रसंग में भी है।

थांग टा

- मणिपुर की मिशेई जनजाति के बीच थांगटा भारतीय युद्ध कला है। जिसमें शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है।
- थांग टा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। थांग का अर्थ है- तलवार, टा का अर्थ है भाला।
- इस युद्ध में तलवार, भाला, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस कला का प्रयोग युद्ध के साथ साथ नृत्य में भी होता है।

सरित करक

- सरित करक भी मणिपुर में उपजित मार्शल आर्ट है जिसमें किसी भी प्रकार के शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता।
- यह हाथों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध है।
- अंग्रेजों द्वारा इस कला पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- वर्तमान में इस युद्ध कला को खेलो इण्डिया में भी स्थान प्राप्त हुआ है।

वरमा कलाई

- वरमा कलाई, दक्षिण भारत की एक प्राचीन कला है।
- यह कला, वैकल्पिक चिकित्सा और मार्शल आर्ट का मिला जुला रूप है।
- शरीर के दबाव बिंदुओं का प्रयोग, प्रतिद्वंदी को पराजित करने के लिए किया जाता है।
- शरीर के दबाव बिंदुओं को चिकित्सा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इन्हें वैद्य मुरई कहा जाता है।

लाठी खेला

- भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में प्रयुक्त की जाने वाले युद्ध के प्रयोग को लाठी खेला कहा जाता है।
- इस पद्धति में लाठियों का प्रयोग किया जाता है।
- बंगाल के साथ भारत के कई गांवों में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

गतका

- भारत के पंजाब राज्य में गतका नामक कला भी मार्शल आर्ट का एक रूप है।
- यह सिक्ख गुरुओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली कला है।
- सिक्खों के धार्मिक उत्सवों में शस्त्र व शक्ति प्रदर्शन का एख रूप गतका युद्ध कला होती है।
- पंजाब राज्य ने गतका को खेल की मान्यता प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय गतका फेडरेशन की शुरुआत 1982 में की।

मर्दानी खेल

- महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मर्दानी कला का प्रयोग किया जाता है।
- यह मार्शल आर्ट या युद्ध शैली को छत्रपति शिवाजी ने विशेष संरक्षण दिया था।
- इस युद्ध में तलवार व भाले का प्रयोग किया जाता है जिसे पाटा व वीटा कहा जाता है।

वर्तमान प्रासंगिकता

वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ अधिकांश भारतीय फिटनेस रुटीन के लिए विभिन्न तरीके इजाद कर रहे हैं, उन तरीकों में भारतीय संस्कृति के तत्वों को शामिल करते हुए यह स्वस्थ भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है। सरकार द्वारा योग को अपनाने के प्रयासों के साथ साथ भारतीय युद्ध कलाओं को शामिल किया जा सकता है, जो आत्मरक्षा व वैकल्पिक चिकित्सा साथ साथ भारतीय संस्कृति को बचाए रखने में मदद करेगा।

स्रोत

The Hindu

भारतीय कला व संस्कृति

Gunjan Joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

असद अहमद केस में स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका

संदर्भ- कई वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त **अतीक अहमद का पुत्र असद अहमद** एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। असद अहमद के खिलाफ उमेश पाल की हत्या करने का मुकदमा चल रहा था। हत्या जैसे गंभीर अपराधों के साथ समस्त परिवार पर मुकदमा चल रहा है।

अतीक अहमद- अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में एक आपराधिक गतिविधियों के समूह को प्रचालित करता था। जिसके खिलाफ 100 से अधिक केस दर्ज हैं। प्रयागराज के अभियोजना अधिकारियों के अनुसार अतीक अहमद के खिलाफ 50 से अधिक मामलों पर मुकदमा चल रहा है, उसके द्वारा एक एमएलए की हत्या, राजूपाल की हत्या, राजू पाल के गवाह उमेश पाल की हत्या का आरोप है। वर्तमान में अतीक साबरमती जेल में कैद है।

उमेश पाल, राजूपाल हत्याकांड का एक प्रमुख गवाह था जिसे अपहरण के बाद डरा धमका कर झूठी गवाही के हलफनामे में हस्ताक्षर करवाए गए। अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए जा रहे उमेश पाल की शूटर्स द्वारा हत्या कर दी गई। उमेश पाल के हत्यारों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे मुठभेड़ में असद अहमद मारा गया।

स्पेशल टास्क फोर्स-

- एसटीएफ, पुलिस विभाग की एक विशेष यूनिट है। जिसे कुछ विशेष समस्याओं से निपटने के लिए गठित किया जाता है।
- किसी विशेष में केस में पुलिस बल के कम होने की स्थिति में भी इस फोर्स को सम्मिलित किया जाता है।
- भारत में प्रत्येक राज्य को एसटीएफ गठित करने का अधिकार है।
- सर्वप्रथम 1980 में एसटीएफ गठित करने वाले राज्य,तमिलनाडु व कर्नाटक हैं।
- उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त एसटीएफ का गठन 4 मई 1998 को किया गया था।

उत्तर प्रदेश में विशेष कार्य दल का निर्माण निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है-

- जिला पुलिस के साथ मिलकर आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्यवाही करना।
- विघटकारी तत्वों अर्थात जो फेक न्यूज से लोगों की धारणा को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, के खिलाफ कार्यवाही करना।
- अंतर्जनपदीय डकैतों के गिरोहों को समाप्त करना।
- माफिया गिरोहों के खिलाफ जानकारी प्राप्त करने के लिए खुफिया तरीकों का प्रयोग करना। खुफिया तरीकों से ही कार्यवाही करना। अतीक अहमद के गिरोह को समाप्त करने के लिए भी स्पेशल टास्क फोर्स को नियुक्त किया गया है।

एसटीएफ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव बुद्धि, प्रौद्योगिकी और परिष्कृत रणनीति पर व्यापक रूप से निर्भर करती है। लगभग 15 वर्षों के अपने छोटे से जीवनकाल में, यूपी एसटीएफ का भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित 81 पुलिस वीरता पदकों और 60 अधिकारियों को विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए बारी-बारी से पदोन्नति दिए जाने का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है।

स्पेशल टास्क फोर्स की शक्तियाँ

- स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस बल की किसी भी शाखा से आपराधिक अधिसूचना प्राप्त कर सकती है।
- पुलिस महानिदेशक द्वारा चिन्हित माफियाओं / गिरोहों/ डकैतो/ विघटनकारी तत्वों/खुफिया एजेन्टों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु स्पेशल टास्क फोर्स को अपने कार्य क्षेत्र में Search, Seizure, गिरफ्तारी, अभिरक्षा, कुर्की व विवेचना की शक्तियाँ प्राप्त है।
- स्पेशल टास्क फोर्स कार्यवाही के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान का प्रयोग कर सकती है।

हत्या से संबंधित दण्ड प्रावधान

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अंतर्गत 80 धाराएं आती है और धारा 299, 300, 302, 304 में आपराधिक मानव वध और हत्या के लिए दण्ड सुनिश्चित किया गया है, जिसके तहत मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास दिया जाना है। मृत्युदण्ड अत्यधिक विरल परिस्थिति में ही दिया जाता है।

इसके तहत निम्नलिखित अपराधों के लिए मृत्युदण्ड दिया जाता है-

- हत्या, दहेज दत्या
- आपराधिक बल व हमला

Yojna IAS योजना है तो सफलता है yojnaias.com

- अपहरण, दासत्व, बलातश्रम आदि।
- गर्भपात, बलात्कार आदि।

उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार उमेशपाल हत्या के केस में अतीक अहमद समूह, (जिसमें असद अहमद भी शामिल था) द्वारा आपराधिक बल, हमला, अपहरण व हत्या किए जाने के सबूत प्राप्त हुए हैं। जिसके तहत असद अहमद को मृत्युदण्ड दिया जाना तय था।

धारा 304, दो पक्षों में हुई मुठभेड़ को निर्देशित करती है, जिसके तहत किसी एक पक्ष की मृत्यु हो जाती है उसे हत्या की संज्ञा नहीं दी जाती है। इसलिए उस पक्ष को मृत्युदण्ड से कुछ कम दण्ड दिया जाता है। **लेकिन** असद अहमद के साथ हुई मुठभेड़ धारा 304 के अंतर्गत नहीं आती। बल्कि यह पुलिस मुठभेड़ के अंतर्गत हुई मृत्यु है जो पुलिस व अपराधी के मध्य हुई।

पुलिस मुठभेड-

भारत में पुलिस एनकाउंटर अर्थात पुलिस द्वारा दण्ड दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है किंतु भारत में पुलिस एनकाउंटर की दो स्थितियाँ हो सकती हैं-

- अगर कोई अपराधी पुलिस गिरफ्त से भाग रहा हो, अपराधी को रोकने के लिए फायरिंग का सहारा लेना पड़ता है।
- यदि अपराधी पुलिस पर हमला कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में आत्मरक्षा के लिए पुलिस के पास फायरिंग का विकल्प होता है।

पुलिस मुठभेड़ में अपराधी की मृत्यु के बाद की स्थिति-

- घटना की जानकारी मानव अधिकार आयोग NHRC को दी जानी अनिवार्य होती है।
- घटना की सूचना मृत आपराधी के परिवार को दी जाती है।
- धारा 176 के तहत सम्पूर्ण घटना की मजिस्ट्रियल जाँच की जाती है, तथा घटना की सम्पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- धारा 190 के तहत मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट को न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपा जाता है।

स्रोत

www.jansatta.com

UP POLICE

LIVE LAW

Gunjan Joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com